चतुर्थ पक्षीय करार
(समुचित मूल्य के स्टॉम्प पेपर पर)
रूरल इलैक्ट्रीफिकेशन कारपोरेशन लिमिटेड
---------- सरकार,

तथा

---------- के बीच करार

यह करार तारीख ..... को ..... पर ..... 2000 .....को एक पक्षकार के रूप में रूरल इलैक्ट्रीफिकेशन कारपोरेशन लिमिटेड, जो कंपन अधिनियम, 1956 के अधीन समामेलित एक कंपनी है, जिसका पंजीकृत कार्यालय कोर 4, स्कोप कॉम्पलैक्स, 7, लोधी रोड, नई दिल्ली-110003 (जिसे इसमें इसके पश्चात् "आरईसी" कहा गया है, जिस अभिव्यक्ति से जब तक कि विषय या संदर्भ से उसके विरुद्ध न हो, उसके उत्तरवर्ती तथा समनुदेशिती अभिप्रेत हैं तथा सम्मिलित हैं)

और

दूसरे पक्षकार के रूप में ..... राज्य के राज्यपाल, ऊर्जा विभाग, ... सरकार (जिसे इसमें इसके पश्चात् "..... सरकार" कहा गया है, जिस अभिव्यक्ति में उसके पद उत्तरवर्ती सम्मिलित होंगे) जिसका कार्यालय ..... पर अवस्थित है ।

और

तीसरे पक्षकार के रूप में ..... जो विद्युत प्रदाय अधिनियम, 1948 की धारा 5(i) के और उसके संशोधन अधीन गठित एक निकाय है, ... सरकार के सम्यक् स्वामित्वाधीन है, जिसका पंजीकृत कार्यालय .....में है (जिसे इसमें इसके पश्चात् ..... कहा गया है*** जिस अभिव्यक्ति में जब तक कि उसके संदर्भ या अर्थवर्ती न हो, उसके उत्तर वर्ष तथा समनुदेशिती भी सम्मिलित होंगे) या

चौथे पक्षकार के रूप में .....***, जो कंपनी अधिनियम, 1956 के अधीन निगमित एक कंपनी है, जिसका पंजीकृत कार्यालय ..... में है ।
(जिसे इसे इसके पश्चात् ..... कहा गया है, जिस अभिव्यक्ति में जब तक कि उसके संदर्भ या अर्थ के विरुद्ध न हो, उसके उत्तरवर्ती तथा समनुदेशिती भी सम्मिलित हैं)

के बीच किया गया ।

आरईसी .....x सरकार .....x और .....xxx जिन्हें सामूहिक रूप से "पक्षकारों" कहा गया है और एकल रूप से "पक्षकार" कहा गया है ।

अतः स्थापित किया जाना है (x) राज्य का नाम (xx) राज्य ऊर्जा उपयोगिता का नाम (xx) सीपीएसयू का नाम ।

क. .....x सरकार तथा .....xx राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना " ग्रामीण विद्युत अवसंरचना तथा गृहस्थी विद्युतीकरण स्कीम " और जो ऊर्जा मंत्रालय, भारत सरकार के कार्यालय ज्ञापन सं. 44/19/2004-डी(आरई) तारीख 16 मार्च, 2005 में सम्मिलित है तथा जिसके संशोधनों भी है, नामक राष्ट्रीय कार्यक्रम के अनुसरण में ..... राज्य के चयनित जिलों/क्षेत्रों में ग्रामीण घरेलू विद्युतीकरण (जिसे इसके इसके पश्चात् परियोजना (ओं) कहा गया है) करने के लिए परियोजना (एं) लागू करने का आशय करते हैं तथा आरईसी ..... सरकार की सहमति से ..... द्वारा चालित अपने-अपने परियोजना (ओं) के स्वीकृति पत्र में यथा विस्तृत निबंधनों तथा शर्तों पर ऐसी परियोजनाओं के वित्त के लिए सहमत हो गए हैं ।

ख. पक्षकार यह करार करते हैं कि व्यष्टिक परियोजना (परियोजनाएं), जो .....xx द्वारा चालित है तथा वित्तीय वर्ष 2004-05 से प्रारंभ होने वाले राष्ट्रीय कार्यक्रम के अधीन आरईसी द्वारा स्वीकृत हैं, आरईसी द्वारा अधिसूचना पर इस करार के अधीन सम्मिलित समझे जाएंगे । आरईसी द्वारा जारी स्वीकृत पत्र में यथा अंतर्विष्ट विशिष्ट परियोजना के लिए आरईसी द्वारा स्वीकृत निबंधन तथा शर्तें वर्तमान करार के भाग रूप भी होंगे । स्वीकृति पत्र के अधीन आरईसी द्वारा जारी अनुपूरक तथा उपांतरण, यदि कोई हों, सम्मिलित होंगे ।

ग. .....x सरकार और .....xx की ओर से पहचाने गए क्षेत्रों में परियोजना (ओं) की विरचना, विकास तथा कार्यान्वयन के लिए आवश्यक सेवाएं प्रदान करने हेतु ..... ने ..... सरकार..... तथा .....xx से सहायता मांगी है ।

घ. ..... को आरईसी और .....** के बीच सम्पन्न समझौता ज्ञापन (जिसे इसमें इसके पश्चात्, "एमओयू" कहा गया है) वर्तमान करार के भाग रूप भी होंगे ।

ड़. तथा उक्त एमओयू के पैरा 4.1 तथा पैरा 5.1 के अनुसार .....xx पहचाने गए क्षेत्रों, जिसमें प्रणाली योजना, डिजाइन, इंजीनियरिंग (आरईसी के मार्गदर्शन सिद्धांतों, विनिर्देशों तथा संनिर्माण मानकों जहां लागू हो, के अनुसार) अंतर्वलित है, की परियोजना (ओं) की विरचना, विकास तथा कार्यान्वयन के लिए सेवा प्रदान करने तथा प्रतिस्पर्धा बोली प्रक्रियाओं के अनुसार उपापन तथा संपूर्ण व्यय, जिसमें ..... के सेवा प्रभार तथा कानूनी शुल्क भी सम्मिलित हैं, को पूरा करने के लिए आरईसी द्वारा (उपर्युक्त किस्तों में) ..... को प्रत्यक्षतः, समय पर निर्मुक्त की जा रही निधि के अधीन रहते हुए, निक्षेप संकर्म आधार पर परियोजना (परियोजनाओं) के अधीन संनिर्माण/कार्यान्वयन/कमीशन तथा उप-पारेषण तथा वितरण कार्यों को आरंभ करने के लिए सहमत हो गए हैं ।

च. .....x सरकार ने आरईसी को .....xx द्वारा उपगत किए जाने वाले संपूर्ण व्यय की पूर्ति के लिए उनकी ओर से .....xxx को प्रत्यक्षतः उपरोक्त निधि को निर्मुक्त करने के लिए प्राधिकृत किया है जिसमें परियोजना (ओं) के संनिर्माण/कार्यान्वयन/चालू किए जाने के लिए ..... x सेवा प्रभार तथा कानूनी कर भी सम्मिलित हैं ।

छ. राष्ट्रीय कार्यक्रम के अधीन परियोजना (ओं) के कार्यान्वयन के लिए आरईसी द्वारा ..... को प्रत्यक्षतः निर्मुक्त संपूर्ण राशि को ऋण/सहायिकी के रूप में ..... सरकार द्वारा निकाला गया समझा जाएगा तथा ..... सरकार आरईसी को इन परियोजनाओं के लिए आरईसी द्वारा जारी स्वीकृति पत्रों में यथा विस्तृत निबंधन तथा शर्तों के अनुसार ऐसी निधियों के ऋण संघटक, उस पर ब्याज तथा अन्य प्रभारों का संदाय करने का वचनबंध करती है ।

ज. .....x सरकार और .....xx ने यह प्रतिज्ञा की है कि वे, ...

(क) थोक प्रदाय टैरिफ का अवधारण करने में अपने अधिकारों का प्रयोग ऐसी रीति से करेंगे जिससे कि उनकी वाणिज्यिक व्यवहार्यता सुनिश्चित हो सके ।

(**ख**) विद्युत अधिनियम, 2003 के अधीन यथा अपेक्षित राज्य उपयोगिताओं के लिए राज्य सरकार द्वारा अपेक्षित राजस्व सहायिकी के उपबंध सुनिश्चित करेंगे ।

झ. .....* सरकार ..... यह वचनबंध तथा प्रतिज्ञा करते हैं कि परियोजना पूरी होने से पूर्व निम्नलिखित व्यवस्थाएं करेंगेः -----

(***i***) स्कीम के अधीन वित्त पोषित परियोजनाओं में ग्रामीण वितरण के प्रबंधन, नागरिकों तथा नागरिकों के माध्यम से ग्रामीण वितरण के प्रबंधन के लिए नागरिकों की नियुक्ति करना जो गैर-सरकारी संगठित (एनजीओ) उपयोक्ता संगम, सहकारी या व्यष्टिक उद्यम, पंचायत संस्थाएं हो सकेंगी । नागरिकों की व्यवस्था प्रणाली के परे हो सकेगी तथा जिसमें सब-स्टेशन से फीडर या/और वितरण ट्रांसफार्मर सम्मिलित हैं ।

(***ii***) विद्युत अधिनियम, 2003 के अधीन, यथा अपेक्षित राज्य उपयोगिताओं को अपेक्षित राजस्व सहायिकी का उपबंध । राजस्व की व्यवस्था परियोजना क्षेत्र में सुनिश्चित की जाएगी तथा उपभोक्ता संकरण और अभिभावी उपभोक्ता टैरिफ तथा संभावित भार के आधार पर नागरिकों के लिए, थोक प्रदाय टैरिफ का अवधारण नागरिकों की वाणिज्यिक व्यवहार्यता को सुनिश्चित करने के पश्चात् किया जाएगा । जहां साध्य हो, बीएसटी का अवधारण करने के लिए बोली लगाने का प्रयास किया जाएगा । थोक प्रदाय टैरिफ राज्य उपयोगिताओं के उनके राजस्व अपेक्षाओं तथा टैरिफ अवधारण के लिए राज्य विद्युत विनियामक आयोगों को प्रस्तुत निवेदनों पर होगा । राज्य सरकार विद्युत अधिनियम के अधीन राज्य उपयोगिताओं को अपेक्षित राजस्व सहायिकियां प्रदान करने के लिए अपेक्षित हैं यदि वह उपभोक्ताओं के किसी प्रवर्ग के लिए राज्य विद्युत विनियामक आयोगों द्वारा अवधारित टैरिफ से कम टैरिफ होगा ।

(***iii***) ग्रामीण तथा शहरी लोगों के बीच प्रदाय के घंटों में कोई भेदभाव किए बिना विद्युत के प्रदाय के लिए पर्याप्त व्यवस्था ।

ज. जहां, यदि सुसंगत संनियमों तथा मार्गदर्शक सिद्धांतों के अनुसार परियोजना क्षेत्र में नागरिक व्यवस्थाओं के विकास के लिए आरईसी द्वारा ऋण/सहायिकी के रूप में राशि का भाग परियोजना लागत के विपरीत है तो$_x$ ..... सरकार इन परियोजनाओं के लिए आरईसी द्वारा जारी स्वीकृति पत्रों में यथा विस्तृत निबंधनों तथा शर्तों के अनुसार ऐसी निधियों

के ऋण संघटक उस पर ब्याज तथा अन्य प्रभारों का संदाय आरईसी को करने का वचनबंध करती है ।

ट. .....x सरकार तथा .....xx यह सुनिश्चित करेंगे कि रूरल इलैक्ट्रीफिकेशन डिस्ट्रिब्यूशन बैकबोन (आरईडीबी) तथा विलेख इलैक्ट्रीफिकेशन इंफ्रास्टक्चर (बीईआई) ऊर्जा मंत्रालय, भारत सरकार के तारीख 18 मार्च, 2005 के संबंधित कार्यालय ज्ञापन के अनुसार परियोजना के अंतर्गत सृजित किए जाएंगे तथा यह अवसंरचना कृषि तथा अन्य क्रियाकलापों जिसमें सिंचाई पैम्पसैट, छोटे तथा मध्यम उद्योगों, खादी तथा ग्राम उद्योगों, शीत चेन, स्वास्थ्य देखरेख तथा शिक्षा और आईटी भी सम्मिलित है, की व्यवस्था की जाएगी ।

ठ. .....* सरकार तथा .....** उपरोक्त तथा "आरजीजीबीआई " के कार्यान्वयन के लिए ऊर्जा मंत्रालय, भारत सरकार के तारीख 18 मार्च, 2005 के संबंधित कार्यालय ज्ञापन सं. 24/19/2004-डी (आरई) में यथा अंतर्विष्ट शर्तों को पूरा करने वाली पात्र परियोजनाओं को कार्यान्वित करने के लिए सहमत है । ..... सरकार तथा .....xx यह भी करार करते हैं कि ऊर्जा मंत्रालय तारीख 18 मार्च, 2005 के संबंधित कार्यालय ज्ञापन में उपदर्शित तथा उपरोक्त पैरा च तथा त्र में यथा उपदर्शित शर्तों के अनुसार परियोजना को समाधानपूर्वक कार्यान्वित न किए जाने की दशा में, पूंजी सहायिकी, यदि परियोजना के लिए स्वीकृत की गई हो, को ब्याज वाले ऋण में संपरिवर्तित किया जा सकेगा ।

ड. और .....x सरकार तथा .....xx यह करार करते हैं कि इस करार के सभी उपबंध प्रभावी होंगे तथा ..... तारीख से आबद्धकर हों जिस तारीख को पूर्व चतुर्थ पक्षीय करार पर आरपीजीवीवाई स्कीम के उपबंध के अनुसार पात्र पूंजी सहायिकी के उपबंध के सिवाय "एक लाख गांवों तथा एक करोड़ निवासियों के त्वरित विद्युतीकरण " के अधीन परियोजना के कार्यान्वयन के लिए पक्षकारों के बीच हस्ताक्षरित किए गए थे ।

.....x सरकार तथा .....x यह भी करार करते हैं कि आरजीजीवीवाई स्कीम के अधीन यथा पात्र पूंजी सहायिकी के संघटक में वृद्धि ऊर्जा मंत्रालय पूंजी सहायिकी की बढ़ाई गई रकम के लिए आरईसी को निधि जारी करने की तारीख से, या "एक लाख गांवों तथा एक करोड़ निवासियों के त्वरित विद्युतीकरण " के अधीन वर्ष 2004-05 के दौरान स्वीकृत परियोजनाओं की बाबत इस करार के पूरा होने की तारीख से, जो भी बाद में हो, प्रभावी होगी ।

ढ़. और ऐसी आरईसी वित्त पोषित परियोजनाओं के विकास तथा कार्यान्वयन के लिए योजनावार पृथक खाते ..... द्वारा बनाए रखे जाएंगे ।

ण. .....x सरकार व्यष्टिक परियोजनाओं के कार्यान्वयन पर सृजित इन आस्तियों की स्वामी होगी जो ..... सरकार की सहमति से ..... द्वारा प्रस्तुत की गई हों तथा राष्ट्रीय कार्यक्रम के अधीन आरईसी द्वारा स्वीकृत की गई हो । ..... सरकार ने परियोजना क्षेत्रों में ऊर्जा का प्रभावी प्रदाय करने के लिए इन आस्तियों को प्रचलित तथा बनाए रखने तथा परियोजना के अधीन सृजित आस्तियों से व्युत्पन्न पारिभाषिक फायदों के लिए ..... को प्राधिकृत किया है ।

अतः, विलेखों तथा पारस्परिक करारों, प्रसंविदाओं तथा इसमें उल्लिखित शर्तों जो इस करार के आंतरिक भाग के रूप में होंगे, के प्रतिफलस्वरूप पक्षकारों द्वारा और उनके बीच निम्नलिखित करार किया जाता हैं : -

1.0 आरईसी द्वारा वित्त पोषित परियोजना

1.1 राष्ट्रीय कार्यक्रम के अधीन आरईसी द्वारा स्वीकृत परियोजना (ओं) के निष्पादन के लिए निधियां ..... को प्रत्यक्षः निर्मुक्त की जाएंगी जिसमें सेवा प्रभार तथा कानूनी कर भी सम्मिलित हैं, जो सरकार ..... तथा .....xx से उनको शोध्य हो ।

1.2 परियोजना को कार्यान्वित करते समय, परियोजना पैरामीटरों में किसी फेरफार या परियोजना लागत में वृद्धि या कमी की दशा में, आरईसी से पुनरीक्षित स्वीकृति के प्रतिफलस्वरूप .....आरईसी को ..... तथा ..... सरकार के माध्यम से पुनरीक्षित लागत प्राक्कलन प्रस्तुत करेगा । तकनीकी उपयुक्तता के अधीन रहते हुए, आरईसी निम्नलिखित परिस्थितियों के अधीन लागत प्राक्कलनों की पुनरीक्षित, स्वीकृति पर विचार करें : -

1. विस्तार में परिवर्तन
2. कानूनी करों में परिवर्तन
3. कीमत उतार-चढ़ाव
4. अधिक समय लगना (परियोजना निष्पादित करने वाले अभिकरण के नियंत्रण से परे)
5. कम-आंकलन ।

1.3 ..... को निधि निम्नलिखित रूप में निर्मुक्त की जाएगीः -

क. **पहली किस्त** - परियोजना की स्वीकृति पत्र के अनुसार ऋण दस्तावेज़ों के निष्पादन की तारीख से तथा सभी अपेक्षाओं, जिसमें ..... सरकार तथा ..... द्वारा अपेक्षित विधिक औपचारिकताओं को पूरा करने के 15 दिन के भीतर परियोजना (ओं) की स्वीकृत परियोजना लागत (जिसमें आनुपातिक सेवा प्रभार तथा कानूनी कर भी सम्मिलित हैं) का 30% ।

पहली किस्त इस शर्त को पूरा करने के अधीन रहते हुए जारी की जाएगी कि संविदा देने के लिए बोली के मूल्यांकन को अंतिम रूप दे दिया गया है तथा कार्यान्वयन अभिकरण द्वारा इस वचनबंध पर कि परियोजना (ओं) के निष्पादन के लिए संविदा आरईसी द्वारा पहली किस्त देने की तारीख से एक सप्ताह के भीतर प्रदान की जाएगी ।

ख. **दूसरी किस्त** - पहली किस्त के 80% व्यय के लिए .....* द्वारा आवश्यक सत्यापन तथा प्रमाणन करने के पश्चात् ..... द्वारा आरईसी को व्यय ब्यौरे प्रस्तुत करने के 15 दिन के भीतर ..... आनुपातिक ..... सेवा प्रभार तथा कानूनी करों के साथ स्वीकृत परियोजना लागत का 30% ।

ग. **तीसरी किस्त** - पहली तथा दूसरी किस्त के 80% व्यय के लिए .....** द्वारा आरईसी को व्यय ब्यौरे प्रस्तुत करने के 15 दिन के भीतर ..... आनुपातिक ..... सेवा प्रभार तथा कानून करों के साथ स्वीकृत परियोजना लागत का 30% ।

घ. **चौथी किस्त (अंतिम किस्त)** - ..... द्वारा आवश्यक सत्यापन तथा प्रमाणन करने के पश्चात् ..... द्वारा आरईसी को व्यय ब्यौरे तथा समापन प्रमाणपत्र प्रस्तुत करने से 30 दिन के भीतर आनुपातिक .....** सेवा प्रभारों तथा कानूनी करों के साथ स्वीकृत परियोजना लागत का 10 % ।

ड. नागरिकों के विकास के लिए निधि, यदि स्वीकृत की गई हो, आरईसी के अपने-अपने परियोजना स्वीकृति पत्रों में अनुबद्ध शर्तों के अनुसार जारी की जाएगी ।

च. .....** संबंधित दावा दस्तावेज़ों की प्राप्ति से दो सप्ताह के भीतर उपरोक्त (ख), (ग) तथा (घ) पर .....* द्वारा दावे किए गए व्यय का सत्यापन करेगा जिसके न करने पर ..... वह आरईसी द्वारा ..... को निधि प्रदान करने के लिए सत्यापित किया गया समझा जाएगा ।

छ. ..... सेवा प्रभार तथा कानूनी करों सहित अंतिम समापन लागत संपरीक्षा लेखा के आधार पर ..... द्वारा सम्यक् रूप से सत्यापित आरईसी को प्रस्तुत किए जाएंगे तथा अंतर, यथास्थिति, ... से आरईसी द्वारा संदत्त/वसूला जाएगा ।

ज. परियोजना पैरामीटरों में फेरफार के कारण परियोजनाओं के लिए अतिरिक्त निधियां, यदि कोई हो, ... को संदेय होगी जो इस करार के खंड 12 के उपबंधों के अधीन शासित होगी ।

2.0 उपयोग प्रमाणपत्र

.....x सरकार, भारत सरकार/आरईसी द्वारा विहित रीति से परियोजना (ओं) के कार्यान्वयन के लिए आरईसी द्वारा जारी निधियों के लिए उपयोग प्रमाणपत्र देगी । ऐसा प्रमाणन ..... द्वारा प्रस्तुत उपयोक्ता प्रमाणपत्र/ब्यौरों के आधार पर होगा तथा .....द्वारा सत्यापित किया जाएगा ।

3.0 संनिर्माण/कार्यान्वयन

3.1 .....xxx आरईसी द्वारा निधियों की पहली किस्त जारी करने की तारीख से अनुमोदित समय-सीमा के भीतर परियोजना (ओं) को पूरा करने का हर संभव प्रयास करेगा ।

3.2 .....xxx तिमाही माइलस्टोन विनिर्दिष्ट करेगा तथा इन माइलस्टोनों के संदर्भ के साथ प्रगति का पुनर्विलोकन तिमाही कार्य-निष्पादन पुनर्विलोकन बैठक में ..... सरकारx, ...xx तथा .....xxx के प्राधिकृत प्रतिनिधि के साथ आरईसी द्वारा संयुक्त रूप से किया जाएगा ।

3.3 ..... परियोजना (ओं) के समापन में विलंब के लिए तथा माल तथा संकर्म की उपाप्ति से संबंधित अन्य सुसंगत संविदागत उपबंधों के लिए संविदाकारों के साथ अपने करारों में परिनिर्धारित नुकसानी के उद्ग्रहण के लिए समुचित उपबंध समामेलित करेगा । इस संबंध में घोषणा इस करार के खंड 1.3 (छ) के अधीन के उपबंधों के अनुरूप परियोजना संबंधी वास्तविक लागत का निपटान करने से पूर्व ..... द्वारा प्रस्तुत की जाएगी । परिनिर्धारित नुकसानी, यदि कोई हो, के मद्दे सारी रकम, जो इस

उपबंध के अधीन ..... द्वारा वसूली जा सकेगी, को पर्याप्त रूप से परियोजना लागत में समायोजित किया जाएगा ।

3.4 (क). .....xxx यह सुनिश्चित करेगा कि इस/इन परियोजना (ओं) के कार्यान्वयन में अपनी स्वयं की क्वालिटी नियंत्रण प्रणाली तथा निरीक्षण प्रक्रिया अंगीकार की जाती है ।

(ख). समुचित प्रबंधन तथा नियंत्रण प्रणाली के माध्यम से कार्यान्वयन के दौरान ..... द्वारा बेहतर लागत नियंत्रण उपाय किए जाएंगे ।

(ग). परियोजना प्राधिकारी (.....x सरकारxx तथा .....xx) की ओर से, ... यह सुनिश्चित करेगा कि उपकरण तथा सामग्री विनिर्देश तथा संनिर्माण पद्धतियां तथा मानक आरईसी द्वारा अनुमोदित/अनुबद्ध हैं ।

4. .....x द्वारा प्रदान की जाने वाली सेवाएं

4.1 ..... सरकारx तथा .....xx अपनी ओर से परियोजना (ओं) का संनिर्माण/ कार्यान्वयन करने के लिए .....xxx को प्राधिकृत करते हैं ।

4.2 .....xx परियोजना (ओं) की विरचना, विकास तथा कार्यान्वयन को सुकर बनाने के लिए .....xxx को तकनीकी पहलुओं (विद्यमान विद्युत अवसंरचना आदि) भौगोलिक पहलुओं के बारे में सभी जानकारी तथा आवश्यक आंकड़े तथा परियोजना क्षेत्रों के लिए ग्राम स्तर तथा घरेलू विद्युतीकरण के बारे में भी अन्य जानकारी प्रदान करेगा ।

..... सरकारx तथा .....xx परियोजना के अधीन आने वाले विनिर्दिष्ट ग्राम (ग्रामों) से यथा सुसंगत परियोजना कार्य के पूरा होने के पूर्व, लंबित आवेदनों की प्रास्थिति, विद्युत कनेक्शन अभिप्राप्त करने की संभाव्यता के आधार पर निःशुल्क विद्युत कनेक्शन प्रदान किए जाने के लिए अवैद्युत बीपीएल निवासियों की ग्रामवार सूची तथा संभावी घरेलू कनेक्शनों की ग्रामवार सूची प्रदान करेंगे ।

4.3 उपरोक्त परियोजना (ओं) के संनिर्माण/कमीशनिंग को सुकर बनाने के लिए सभी अपेक्षित भूमि ..... द्वारा प्रदान की जाएगी; भूमि अर्जन की लागत, यदि अपेक्षित हो, ... द्वारा यदि यह परियोजना लागत के भाग है, इस

प्रयोजन के लिए आबंटित निधियों से दस्तावेजी साक्ष्य पर ..... को जारी की जाएगी ।

4.4 परियोजना (ओं) के संनिर्माण/कार्यान्वयन के लिए अपेक्षित सभी कानूनी निकासी/अनुमोदन/अनुपालन, जिसमें मार्गाधिकार, वन निकासी आदि सम्मिलित है, ... द्वारा अभिप्राप्त/प्रदान किया जाएगा ।

4.5 ..... सरकार$_x$ तथा .....xx कार्य के सुचारू तथा समय पर निष्पादन के लिए कार्यकरण स्थानों पर समुचित सुरक्षा व्यवस्था करेंगे ।

5.0 कर तथा शुल्क

इस करार के अधीन सम्मिलित परियोजना (ओं) के निष्पादन के संबंध में .....xxx और/या उसके संविदाकारों पर किसी सरकार (केंद्रीय/राज्य) और/या किसी अन्य स्थानीय निकायों/प्राधिकारियों द्वारा अधिरोपित/भारित सभी कानूनी कर/उद्ग्रहण, शुल्क उपस्कर, प्रवेश कर या किसी भी प्रकार के अधिरोपण तथा .....xx के सेवा प्रभारों पर सेवा कर (जिसमें इसके फेरफार भी सम्मिलित है) जिसमें परियोजना की प्राक्कलित लागत सम्मिलित नहीं है, ...xx द्वारा दस्तावेजी साक्ष्य तथा सत्यापन की प्रस्तुति पर .....xxx को प्रतिपूर्ति के पात्र होंगे ।

6. परियोजना का अभिग्रहण

6.1 .....xxx परियोजना के सफलतापूर्वक चालू होने पर तथा उसका परीक्षण करने पर (यथास्थिति, पूर्णतः या भागतः) .....xx सूचित करेगा तथा .....xx यथाशीघ्र परियोजना को ग्रहण करेगा तथा अपने स्वयं के खर्चों पर परियोजना का प्रचालन और रखरखाव (यथास्थिति पूर्णतः या भागतः) आरंभ करेगा तथा इस करार के विवरण के पैरा ज और झ के अधीन पहले यथा उपदर्शित उपबंधों का अनुपालन भी सुनिश्चित करेगा । .....xx त्रुटियों/कमियां, यदि कोई हो, को दूर करने के अधीन रहते हुए .....xxx द्वारा ऐसी सूचना की तारीख से 30 दिन के भीतर ग्रहण करने का प्रमाणपत्र प्रस्तुत करेगा । यदि किसी कारण से, परियोजना की ..... द्वारा ग्रहण नहीं किया जाता है तो ..... xx द्वारा ग्रहण करने में विलंब के कारण .....xx द्वारा उपगत सभी लागतों तथा सेवा प्रभार .....xx द्वारा अपने स्वयं के संसाधनों से संदेय होंगे ।

6.2 जब भी ..... द्वारा परियोजना कार्यान्वित की जाती है और उसे ग्रहण किया जाता है (यथास्थिति, भागतः या पूर्णतः) तो उसके प्रचालन तथा रखरखाव की जिम्मेदारी ..... की होगी । तथापि, यदि ..... सरकार/ ..... ऐसा वादा करते हैं तो ..... उनके साथ पृथक करार के अंतर्गत आपस में तय निबंधनों तथा शर्तों पर पूरी की गई परियोजना (ओं) के प्रचालन तथा रखरखाव करने पर विचार कर सकेगा ।

7.0 माध्यस्थम

इस परियोजना से उद्‌भूत या इसके संबंध में पक्षकारों के बीच किसी मतभेद या विवाद को पक्षकारों के बीच विचार-विमर्श करके या सौहार्द्रपूर्ण रूप से निपटाया जाएगा । 60 दिन की अवधि के भीतर मतभेद या विवाद का निपटान होने की दशा में, इसे ऊर्जा मंत्रालय, भारत सरकार के सचिव को निर्दिष्ट किया जाएगा जिसका विनिश्चय अंतिम तथा इस करार के पक्षकारों पर आबद्धकर होगा ।

8. अपरिहार्य घटना

पक्षकार इस करार के निबंधनों के अनुसार सम्यक् अनुपालन सुनिश्चित करेंगे । तथापि, कोई भी पक्षकार किसी ऐसी हानि या नुकसानी, का दावा करने के लिए दायी नहीं होगी जो करार के निबंधन का कार्यान्वित न करने से उद्‌भूत हुई हो तथा जो अग्नि, विद्रोह, बगावत, गृह युद्ध, बलवे, हड़ताल, तालाबंदी, प्राकृतिक आपदाएं, दुर्घटना, दैवी प्रकोप जैसी अपरिहार्य घटना के कारण और ऐसे अन्य कारण से उद्‌भूत हुई हो जो संबंधित पक्षकार के नियंत्रण में नहीं थी । इस खंड के फायदे का दावा करने वाला कोई भी पक्षकार ऐसी घटना के संबंध में दूसरे पक्षकार का समाधान करेगा तथा इस आशय की अन्य पक्षकार को 15 दिन को लिखित सूचना देगा । इस खंड के अधीन सम्मिलित सेवाएं ऐसी घटनाओं के समाप्त होने के पश्चात् संबंधित पक्षकारों द्वारा यथासाध्य शीध्र आरंभ की जाएंगी ।

9.0 करार का कार्यान्वयन

प्रयोग किए जाने वाले सभी विवेकाधिकारों तथा दिए जाने वाले निर्देशों, अनुमोदनों, सहमति तथा नोटिसों तथा इन विलेखों के अधीन की जाने वाली सभी कार्रवाईयां, जब तक कि अन्यथा अभिव्यक्त रूप से उपबंधित न हो, का प्रयोग किया जाएगा तथा करार के हस्ताक्षरकर्ताओं या प्राधिकृत प्रतिनिधियों, जिन्हें प्रत्येक पक्षकार इस निमित्त

नामनिर्दिष्ट कर सकेगा, द्वारा दी जाएगी तथा रजिस्ट्रीकृत डाक द्वारा दूसरे पक्षकार को लिखित में अधिसूचित की जाएंगी । प्राधिकृत प्रतिनिधियों के किसी अन्य नाम निर्देशन और/या पदनाम में परिवर्तन की सूचना ..... करार पर हस्ताक्षर करने के एक मास के भीतर ..... तथा आरईसी को/या उनके द्वारा लिखित में दी जाएगी ।

10. <u>सूचना (नोटिस)</u>

इस करार के अधीन अपेक्षित या निर्दिष्ट सभी सूचनाएं लिखित में होंगी तथा जब तक अन्यथा अधिसूचित न किया जाए उपरोक्त उल्लिखित पक्षकारों के अपने-अपने प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ताओं द्वारा हस्ताक्षरित होंगी । ऐसी प्रत्येक सूचना सम्यक् रूप से दी गई जब समझी जाएंगी यदि इन्हें अन्य पक्षकार को पंजीकृत डाक, डाक विभाग के स्पीड पोस्ट या अभिस्वीकृति के साथ कूरियर सेवा द्वारा परिदत्त या सौंपा जाता है ।

11. <u>पर्यवसान</u>

यह करार तब तक विधिमान्य रहेगा जब तक सभी पक्षकारों की सहमति से समाप्त न किया जाए।

12.0 इन विलेखों से उद्भूत होने वाले या उससे संबंधित सभी मामलों के संबंध में केवल दिल्ली स्थित सक्षम न्यायालय की ही अधिकारिता होगी ।

इसके साक्ष्य स्वरूप पक्षकारों ने नई दिल्ली में अपने प्राधिकृति प्रतिनिधियों के माध्यम से इन विलेखों का निष्पादन किया ।

रूरल इलेक्ट्रीफिकेशन कारपोरेशन लिमिटेड
की ओर से

.....** की ओर से

ऊर्जा विभाग ..... सरकार
के माध्यम से ..... के
राज्यपाल की ओर से

.....** की ओर से

साक्षी 1

साक्षी 2

साक्षी 3

साक्षी 4